न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 300/2017 दायर दिनाँक 31.10.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. रजाकखाँ पुत्र लोडूखाँ, उम्र—60साल, जाति—शेरानीआबाद, निवासी—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. इब्राहिमखाँ पुत्र लोडूखाँ, उम्र—65साल, 2. गुलाबखाँ पुत्र लोडूखाँ, उम्र—55साल, 3. फखरूदीन पुत्र लोडूखाँ, उम्र—52साल, 4. ऐमना पत्नी मोहम्मदखाँ, उम्र—55साल, 5. अहमदअली पुत्र मोहम्मदखाँ, उम्र—35साल, 6. रमजानअली पुत्र मोहम्मदखाँ, उम्र—32साल, 7. मोहबतअली पुत्र मोहम्मदखाँ, उम्र—30साल, 8. सुलेमानखान पुत्र मोहम्मदखाँ, उम्र—18साल, 9. शोएबखाँ पुत्र मोहम्मदखाँ, उम्र—12साल, 10. जुलेखाँ पुत्री मोहम्मदखाँ, उम्र—33साल, 11. रूकसाना बानो पुत्री मोहम्मदखाँ, उम्र—31साल, 12. रहमतबानो पुत्री मोहम्मदखाँ, उम्र—29साल, 13. रोशनबानो पुत्री मोहम्मदखाँ, उम्र—27साल, 14. शबनमबानो पुत्री मोहम्मदखाँ, उम्र—19साल, 15. शेरमोहम्मद पुत्र जमालदीनखाँ, उम्र—55साल, 16. बाबुलाल उर्फ बदरूदीनखाँ पुत्र जमालदीनखाँ, उम्र—53साल, 17. दीनमोहम्मद पुत्र जमालदीनखाँ, उम्र—42साल (प्रतिवादी संख्या 09 शोएबखाँ नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता ऐमना प्रतिवादी संख्या 04), समस्त,जाति—शेरानी,

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

		निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री नागपालसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04, 11, 12 व 15 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 17 एक ही परिवार से हैं। खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 41.08 बीघा वाके शरहद डाबगाँव में स्थित है।

उपर्युक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खतौनी की नकल पेश है। उपर्युक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज अवश्य है मगर वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बन्टवारा हो चुका है। मौखिक बन्ट अनुसार पक्षकारान् काबिजकाश्त है। मौखिक बन्टवारा निम्न प्रकार है:–

1. वादी के हिस्से व बन्ट में आई भूमि–

   शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 42 रकबा 41.08 बीघा में से रकबा 12 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में आई हुई है।

2. प्रतिवादी संख्या 04 ता 09 व 15 ता 17 के हिस्से व बन्ट में आई भूमि–

   शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 42 रकबा 41.08 बीघा में से रकबा 29.08 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में आई हुई है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के पिता लोडूखाँ व प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 17 के पिता व दादा दौनों भाई थे जिनका नाम सैटलमेन्ट के वक्त एक साथ चला व उसके बाद सहवन से वादी के पिता लोडूखाँ का नाम खतौनी से हट गया। प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 17 के पिता व दादा का नाम खतौनी में रहा। अब वादी के उक्त खसरा नम्बर की भूमि 12 बीघा की खातेदारी वादी रजाकखाँ का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को ग्राम डाबगाँव व शेरानी आबाद के कॉकड़ में बन्ट में भूमि दे दी है। अब 12 बीघा हक मात्र वादी रजाक खाँ का ही है क्योंकि सैटलमेन्ट से लेकर आजतक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का उक्त 12 बीघा भूमि पर हक व हिस्सा रहा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 14 की शादी कर दी गयी है तथा सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हक अदा करने से इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटावा जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को ग्राम डाबगाँव व शेरानी आबाद के कॉकड़ में भूमि देने से इनका नाम उक्त खसरान् से हटाया जावे। खातेदार मोहम्मद खाँ फौत हो चुके हैं जिनके वारिशान् प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 14 हैं।

शरहद डाबगाँव की भूमि 29.08 बीघा में प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 09 व 15 ता 17 के हक व बन्ट में रखी जावे तथा इसी खसरा नम्बर में उत्तरी व पश्चिमी कौने में 12 बीघा भूमि वादी रजाकखाँ के बन्ट व कब्जाकाश्त में रखी जावे तथा प्रतिवादी संख्या 16 बाबुलाल का नाम सभी दस्तावेजात् में बदरूदीन ही है। इसलिए उक्त रिकॉर्ड में बाबुलाल उर्फ बदरूदीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

वादी अपने बन्ट व कब्जेकाश्त के उपर्युक्त खेत खसरा नम्बर की भूमि में कदीम से काश्त करते आये है। दिनाँक 28. 10.2017 को प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियां धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि का किसी को बैचाण कर देंगे। अगर वादग्रस्त भूमि का बैचाण कर दिया तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति करना सम्भव नहीं होगा।

तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार लैण्ड होल्डर होने से बनाया गया है लेकिन वाद किसी सरकरी भूमि बाबत् नहीं है इसलिए वाद से पूर्व दो माह की अवधि का कानूनी नोटिस नहीं दिया गया है।

बिनाया दावा दिनाँक 28.10.2017 को प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचाण करने की धमकी देने एवम् दिनाँक 28. 10.2017 को खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर पैदा हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादी है कि–

वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से व बन्ट में आई भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जावेः–

1. वादी के हिस्से व बन्ट में आई भूमि–

   शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 42 रकबा 41.08 बीघा में से रकबा 12 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में रखी जावे।
2. प्रतिवादी संख्या 04 ता 09 व 15 ता 17 के हिस्से व बन्ट में आई भूमि–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 42 रकबा 41.08 बीघा में से रकबा 29.08 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में रखी जावे।

खातेदार मोहम्मद खाँ फौत हो चुके है इनके वारिशान् संख्या 10 ता 14 की शादी हो चुकी है तथा इनका सामाजिक रीति रिवाज अनुसार हक अदा कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को शेरानी आबाद व डाबगाँव के काँकड में खेत बन्ट में दे चुके हैं इसलिए इनका नाम भी उक्त खसरा की भूमि से हटाया जावे।

वर्तमान खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 41.08 बीघा वाकै शरहद डाबगाँव की खातेदारी वादी रजाक खाँ के पूर्वजों के समय से निरन्तर कब्जाकाश्त व हक अधिकार में रहने से वादी का नाम नजरीनक्शा अनुसार रकबा 12 बीघा की खातेदारी घोषित की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 16 बाबुलाल उर्फ बदरूदीन दुरस्त किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2058–2061 खेवट संख्या 167 / 162 की छायाप्रति, खसरा मिलान ग्राम डाबगाँव की प्रमाणित प्रतिलिपि, खतौनी मौजा डाबगाँव परगना डीडवाना जोधपुर गवर्नमेन्ट संवत् 2000 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2010–2013 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि, खतौनी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2036–2050 खेवट संख्या 140 / 52 की प्रमाणित प्रतिलिपि, खतौनी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2050–2052 खेवट संख्या 161 / 150 की प्रमाणित प्रतिलिपि, गिरदावरी (चतुर्थवर्षीय) ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र MTW / 1195429 निर्वाचक का नाम रजाकखाँ की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार क्रमांक 671769474464 नाम इब्राहिम खान की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार क्रमांक 883804300141 नाम गुलाब खाँ की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार क्रमांक 523274829990 नाम फखरूदीन की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र AZB / 0046343 निर्वाचक का नाम बदरूदीन की छायाप्रति, परिवार राशन–कार्ड बारकोड संख्या 008258201578 ग्राम शेरानी आबाद की छायाप्रति, आधार एनरोलमेन्ट नम्बर 2036 / 72117 / 01646 नाम मोहबत अली की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार क्रमांक 621363045473 नाम शोयब खाँ की छायाप्रति, यूको बैंक शेरानी आबाद द्वारा जारी बचत खाता पास बुक खाता संख्या 27173211009184 की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार क्रमांक 772844107354 नाम शेर मोहम्मद की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार क्रमांक 284136213241 नाम सुलेमान खाँ की छायाप्रति, पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 18 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

05 ता 10, 13, 14, 16 ता 18 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04, 11, 12 व 15 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04, 11, 12 व 15 की ओर से पेश राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढ़कर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव व लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री नागापालसिंह राठौड़ ने की है। हस्ब बख्याहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के अनुसार–

शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 42 रकबा 41.08 बीघा में से रकबा 12 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार वादी की खातेदारी में घोषित की जावे व रकबा 29.08 बीघा की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 09 व 15 ता 17 के संयुक्त रूप से घोषित की जावे।

खातेदार मो0 खाँ फौत हो चुके हैं इनके वारिशान् प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 14 का सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हक अदा करने से इनका नाम खातेदारी से हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को शेरानी आबाद व डाबगाँव के काँकड में खेत बन्ट में दे दिया गया है इसलिए इनका नाम भी हटाया जावे। प्रतिवादी संख्या 16 बाबुलाल का नाम बदरूदीन उर्फ बाबुलाल दुरस्त किया जावे।

वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गई। अधिवक्तागण पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर दिया है। राजीनामा पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान्, खातेदारी चाहते हैं। वाद में किसी पक्षकार द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार कर, शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 42 रकबा 41.08 बीघा में से रकबा 12 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे की शेष रकबा 29.08 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 09 व 15 ता 17 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–300 / 2017
दायर दिनाँक 31.10.2017, निणर्य दिनाँक 23.11.2017
रजाकखाँ बनाम् इब्राहिमखाँ, वगैरा।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 तथा 10 ता 14 का नाम उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज नाम "बाबुलाल" के स्थान पर "बदरूदीन उर्फ बाबुलाल" दुरस्त किया जाता है।

उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **23.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **300/2017** दायर दिनाँक **31.10.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रजाकखाँ पुत्र लोडूखाँ, उम्र–60साल, जाति–शेरानीआबाद, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. इब्राहिमखाँ पुत्र लोडूखाँ, उम्र–65साल, 2. गुलाबखाँ पुत्र लोडूखाँ, उम्र–55साल, 3. फखरूदीन पुत्र लोडूखाँ, उम्र–52साल, 4. ऐमना पत्नी मोहम्मदखाँ, उम्र–55साल, 5. अहमदअली पुत्र मोहम्मदखाँ, उम्र–35साल, 6. रमजानअली पुत्र मोहम्मदखाँ, उम्र–32साल, 7. मोहबतअली पुत्र मोहम्मदखाँ, उम्र–30साल, 8. सुलेमानखान पुत्र मोहम्मदखाँ, उम्र–18साल, 9. शोएबखाँ पुत्र मोहम्मदखाँ, उम्र–12साल, 10. जुलेखाँ पुत्री मोहम्मदखाँ, उम्र–33साल, 11. रूकसाना बानो पुत्री मोहम्मदखाँ, उम्र–31साल, 12. रहमतबानो पुत्री मोहम्मदखाँ, उम्र–29साल, 13. रोशनबानो पुत्री मोहम्मदखाँ, उम्र–27साल, 14. शबनमबानो पुत्री मोहम्मदखाँ, उम्र–19साल, 15. शेरमोहम्मद पुत्र जमालदीनखाँ, उम्र–55साल, 16. बाबुलाल उर्फ बदरूदीनखाँ पुत्र जमालदीनखाँ, उम्र–53साल, 17. दीनमोहम्मद पुत्र जमालदीनखाँ, उम्र–42साल (प्रतिवादी संख्या 09 शोएबखाँ नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता ऐमना प्रतिवादी संख्या 04), समस्त,जाति–शेरानी,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक **23.11.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री नागपालसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04, 11, 12 व 15 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार कर, शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 42 रकबा 41.08 बीघा में से रकबा 12 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे की शेष रकबा 29.08 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 09 व 15 ता 17 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 तथा 10 ता 14 का नाम उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज नाम "बाबुलाल" के स्थान पर "बदरूदीन उर्फ बाबुलाल" दुरस्त किया जाता है।

उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत................ .....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.11.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner